भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 421
उत्तर देने की तारीख : सोमवार, 05 फरवरी, 2024
16 माघ, 1945 (शक)

स्मारकों की वर्तमान स्थिति का आकलन करने के लिए अध्ययन

421. श्री राजेश नारणभाई चुड़ासमा:

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केंद्र द्वारा संरक्षित स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने उनकी वर्तमान स्थिति का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या अनेक प्राचीन/ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों का अतिक्रमण किया गया है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) देश में राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित 3697 प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष हैं। ब्यौरा **अनुबंध-।** में दिया गया है।

(ख) और (ग): स्मारकों और स्थलों की स्थिति का आकलन करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा समय-समय पर उनका निरीक्षण किया जाता है। तदनुसार, संरक्षण और रखरखाव के लिए वार्षिक कार्य योजना तैयार की जाती है जो कि एक सतत् प्रक्रिया है।

(घ) और (ड.): कई स्मारक और स्थल अतिक्रमणाधीन हैं।

अतिक्रमण की स्थिति में पुलिस में शिकायत दर्ज की जाती है, उक्त अतिक्रमण को हटाने के लिए अतिक्रमण करने वाले को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है और यदि अतिक्रमण को हटाया नहीं जाता है तो ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया जाता है। किसी संरक्षित स्मारक को नुकसान अथवा क्षति पहुंचाने पर प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम,1958 के उपबंधों के तहत पुलिस में शिकायत दर्ज की जाती है।

अनुबंध- I

लोक सभा में दिनांक 05.02.2024 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 421 के भाग (क) के भाग के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

देश में राष्ट्रीय महत्व के घोषित प्राचीन स्मारकों तथा पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों की संख्या का सार

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्मारकों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	135
2.	अरुणाचल प्रदेश	03
3.	असम	55
4.	बिहार	70
5.	छत्तीसगढ	46
6.	दमन और दीव (संघ राज्य क्षेत्र)	11
7.	गोवा	21
8.	गुजरात	205
9.	हरियाणा	91
10.	हिमाचल प्रदेश	40
11.	जम्मू एवं कश्मीर (संघ राज्य क्षेत्र)	56
12.	झारखंड	13
13.	कर्नाटक	506
14.	केरल	29
15.	लद्दाख (संघ राज्य क्षेत्र)	15
16.	मध्य प्रदेश	291
17.	महाराष्ट्र	286
18.	मणिपुर	01
19.	मेघालय	08
20.	मिजोरम	01
21.	नागालैंड	04
22.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	173
23.	ओडिशा	81
24.	पुडुचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	07
25.	पंजाब	33
26.	राजस्थान	163
27.	सिक्किम	03
28.	तेलंगाना	08
29.	तमिलनाडु	412
30.	त्रिपुरा	08
31.	उत्तर प्रदेश	743
32.	उत्तराखंड	44
33.	पश्चिम बंगाल	135
	कुल	**3697**

*****